कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4275 / नातौ / अ–1 / 2006, भोपाल दिनांक 29.9.06

प्रति,

समस्त उप नियंत्रक
सहायक नियंत्रक
निरीक्षक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों का सत्यापन / मुद्रांकन एवं प्रमाण पत्र जारी करने बावत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रं.1871 / नातौ. / अ–1(1) एफ–92 / 2004, भोपाल दिनांक 29.4.04

यह पाया गया है कि इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन में उनकी श्रेणी की सही गणना नहीं करने एवं संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए सत्यापन प्रमाण पत्र जारी नही करने तथा प्लेट पर मुद्रांकन करने के कारण शासकीय राजस्व की हानि संभावित है। विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल उपकरणों के सत्यापन प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण निरीक्षकों को दिलाया गया है। फिर भी कतिपय स्थानों पर कार्य नियमानुसार संपादित नहीं किये जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है।

अतः 01.10.06 से (डी / 06) प्लेटों पर मुद्रांकन किया जाना प्रतिवंधित किया जाता है एवं इलेक्ट्रिानिक तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन व प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जावें।

1. समस्त इलेक्ट्रिानिक तौल उपकरणों में छिद्रित स्क्रू को इलेक्ट्रिानिक तौल माप यंत्र की बाडी पर कसवाया जाये। स्क्रू मे तार व चोकोर लेड प्लग डालकर प्लायर का उपयोग कर ठप्पों से मुद्रांकित किया जायें। (जिस तरह पेट्रोल पंप में मुद्रांकन किया जाता है) जिसमें सील तोड़े बिना तौल यंत्र के आंतरिक भाग को न खोला जा सके। बॉट और माप मानक (सामान्य) नियम 1987 में यह प्रावधान है कि उपकरण का सत्यापन व मुद्रांकन इस तरह किया जावे कि इस मेट्रोलॉजिकल केरेक्ट्रिक्स में किसी तरह का बदलाव न किया जा सके। अतः सत्यापन व मुद्रांकन, पुनः सत्यापन व मुद्रांकन के समय इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2. प्रत्येक इलेक्ट्रानिक तौल माप उपकरण का क्रमांक श्रेणी क्षमता, मॉडल निर्माता, न्यूनतम, क्षमता, ई वेल्यू व डी वेल्यू का स्पष्ट विवरण सत्यापन प्रमाण पत्र में

अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें। एक से अधिक ई–वेल्यू वाले इलेक्ट्रानिक तौल यंत्र की भिन्न–भिन्न ई–वेल्यू एवं क्षमताओं का भी सत्यापन प्रमाण पत्र पर उल्लेख किया जाना अनिवार्य है जिससे श्रेणी की गणना व लिये गये सत्यापन मुद्रांकन शुल्क की जांच की जा सके। इस विवरण के बिना जारी सत्यापन प्रमाण पत्र अपूर्ण माना जावेगा एवं यह निरस्ती योग्य होगा।

3. मानक अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के बाहर में आये इलेक्ट्रिानिक ताल उपकरणों के प्रथम सत्यापन मुद्रांकन किये जाने के लिये उनका उपयोगकर्ता संस्थान पर पुर्नसंयोजन/स्थापन पश्चात् सत्यापन/मुद्रांकन किये जाने के इस कार्यालय के आदेश क्रं.2043/नातौ/अ–1(1)/06 दिनांक 21.6.05 में द्वितीय प्रवर्ग के उपकरण हेतु उल्लेखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये क्रेता/विक्रेता अनुज्ञप्तिधारक से तौल यंत्रों के बिल की छायाप्रति प्राप्त करे एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के अंतिम कॉलेम में बिल का क्रमांक, दिनांक व विक्रेता संस्था का नाम अनुज्ञप्ति क्रमांक अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाये। इलेक्ट्रानिक तौल माप उपकरणों के पुनः सत्यापन हेतु यदि उपकरण सुधारक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सुधारक का नाम, अनुज्ञप्ति गेट पास क्रं. की सत्यापन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि की जाये जिस पर तरह से विक्रेता/निर्माता का विवरण प्रथम सत्यापन मुद्रांकन के समय प्रविष्टि किया जाने के निर्देश है।

4. राज्य के बाहर से प्राप्त इलेक्ट्रानिक तौल माप तौल यंत्र यदि उपभोक्ता द्वारा क्रय कर लाया गया हो तो उपयोक्ता से क्रय बिल प्राप्त करे एवं संपूर्ण कार्यवाही एवं प्रविष्टि बिंदु क्रमांक 1,2,3,के अनुरूप कर उपकरण उपयोग हेतु पुर्नसंयोजन/स्थापन के पश्चात सत्यापन व मुद्रांकन करें।

5. राज्य के अंदर निर्मित वे तौल माप इलेक्ट्रानिक उपकरणों जो राज्य में ही विक्रय किये जाने हो, का प्रथम सत्यापन व मुद्रांकन बॉट और माप मानक (प्रव.) अधिनियम 1985 की धारा 22 क उद्देश्यों के अनुरूप किया जाये। सत्यापन प्रमाण में प्रविष्ठियो बिंदु क्रं. 3 के अनुरूप की जावे राज्य में निर्मित वे तौल माप उपकरण जो राज्य के बाहर विक्रय किये जाने हा के प्रथम सत्यापन एवं मुद्रांकन में बा।ट एवं माप मानक अधिनियम 1976 के अध्याय 5 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

6. जिन निरीक्षकों के क्रमांक की मुद्रा स्पष्ट नही हो वे अपनी मुद्रायें बदलवाने हेतु संभागीय कार्यालय को अवगत करावें एवं संभागीय अधिकारी निरीक्षकों की क्रमांक मुद्रा का स्वयं अवलोकन कर इस कार्यालय को सूचित करे जिससे नवीन मुद्रा प्रदाय की जा सके। भविष्य में अस्पष्ट निरीक्षक क्रमांक मुद्रा में अस्पष्टता पाये जाने पर निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये सहायक नियंत्रक/उप नियंत्रक प्रतिमाह होने वाली बैठक में निरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन करे। उक्त निर्देशों का पालन हो रहा है यह सुनिश्चित करें एवं त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय का अवगत कराये।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 4276/नातौ/अ–1/06 भोपाल दिनांक, 29.9.06

प्रतिलिपि –:

1. समस्त निर्माता/विक्रेता/सुधारक अनुज्ञप्तिधारकों की ओर निर्देशो का पालनार्थ भविष्य में इलेक्ट्रानिक तौल माप उपकरण निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था कर सत्यापन/पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल